ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 224-228

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

मुगलकाल मे नगरीय संस्कृति और समाज'

राजु कुमार
एम0ए0 पीएच0डी0, पुलिस कॉलोनी, अनिशाबाद, पटना (बिहार) भारत।

Received- 15.08.2020, Revised- 19.08.2020, Accepted - 23.08.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : **सत्रहवीं शताब्दी के तृतीयांश तक लगभग समूचा देश मुगल शासन के प्रभाव में आ गया। बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, बुरहानपुर जैसे नगर प्रमुख नगरीय केंद्रों के रूप में उभरे जहां मुगलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा।**

लेविस मम्फोर्ड के अनुसार, शहर वह स्थान है, जहाँ 'ऊर्जा संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है'। यह कथन स्पष्ट रूप से शहरों की नियत 'सांस्कृतिक' भूमिका, शहरी जीवन की जीवंतता, जिसने संस्कृति को प्रभावित कर 'सभ्यता' का निर्माण किया, को स्पष्ट करता है। शहरों के हलचल भरे जीवन का अध्ययन इसी पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। लेकिन, मध्यकालीन समाज का दायरा इतना अधिक विस्तृत है कि सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। यहां आपको व्यापक रुझानों की झलक प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

कुंजीभूत शब्द– तृतीयांश, समूचा, संस्कृति, नियत, सांस्कृतिक, भूमिका, जीवन, जीवंतता, संस्कृति, सभ्यता।

दरबारी संस्कृति–

1. अखलाक– मुगलों की दरबारी संस्कृति की अवधारणा 'प्रतिष्ठा' थी, न कि संपत्ति। जहांगीर के अमीर मुहम्मद बाकिर का स्पष्ट रूप से मानना है कि 'संपत्ति का नुकसान अधिक चिंता का विषय नहीं है'। उनके प्रमुख आदर्श उच्च सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, तलवार, और उच्च कुल में जन्म थे। 'दानशीलता' और 'उदारता' की संस्कृति सर्वव्यापी थी। अकबर के अमीर अब्दुर रहीम खान–ए–खाना और अबुल फजल के भाई फैजी दोनों ही संपत्ति को 'तिरस्कार' की नजरों से देखते थे। जब बाबर ने आगरा के अधिग्रहित खजाने से काबुल में हर व्यक्ति को एक शाहरुखी वितरित की थी, तो बाबर को कलंदर (वैरागी) नाम दिया गया। संपत्ति के लिए झगड़ा न के बराबर हुआ करता था, जबकि 'मान मर्यादा' और 'प्रतिष्ठा' के लिए अक्सर लोग मरने.मारने पर उतारू हो जाते थे। मध्यकाल के दौरान अखलाक साहित्य (शिष्टाचार पर साहित्य) के उद्भव में तेजी आई। मुखिया का तर्क है कि, 'सभी अच्छे नाट्यमंच की तरह, मुगल दरबार भी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सपना देखता था, जिसमें वह अपने आपको जनता से दूरी पर रखकर अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श की भूमिका अदा कर सके। चूंकि राज्य, पदानुक्रम में समाज की कई परतों के शीर्ष पर होता था, इसलिए दरबार की हैसियत सामाजिक व्यवस्था के लिए एक आदर्श थी और शिष्टाचार का सावधानीपूर्वक अवलोकन इसके संरक्षण की कुंजी थी'।

13वीं शताब्दी में संभवतः सबसे पहले लिखे गए अखलाक साहित्यों में से एक, अखलाक–ए नॉसिरी में नासिर अल–दीन तूसी ने जीवन की प्रमुख दिनचर्याओं जैसे भोजन करने, सोने, बातचीत करने के सलीकों के बारे में बताया है। इसके महत्व का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसे अकबर को प्रतिदिन पढ़कर सुनाया जाता था। अखलाक साहित्य में मुख्य रूप से अभिजात्यों के रहने.सहने के सलीकों, शिष्टाचार के बारे में लिखा गया है, ताकि दरबार के अंदर और बाहर सामान्य प्रजा के ऊपर 'दरबारी' संस्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। इस प्रकार अभिजात्य वर्ग के हाव.भाव में हमेशा दरबारी संस्कृति की झलक दिखाई देती थी। दिलचस्प यह है कि सार्वजनिक या निजी स्थानों पर शिष्टाचार में कोई अंतर नहीं था।

मुगल और मुगल दरबार के शिष्टाचार और समारोहों की जीवन शैली अभिजात्यों द्वारा अपनाई जाती थी। उच्च अमीर अक्सर अपने दासों को कुर्निश बजाने के लिए मजबूर करते थे। विनम्रता/शिष्टाचार को निरूपित करने के लिए मिर्जाई शब्द के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ हुआ – इसे अक्सर सुसंस्कृत और सभ्य पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सत्रहवीं सदी की शुरुआत में मिर्जा कामरान ने मिर्जा नामा की रचना की जिसमें मिर्जाई के उपयुक्त शिष्टाचार, संस्कृति, तौर–तरीके और नियमों का संकलन था। मिर्जा नामा के अनुसार, एक शिक्षित व्यक्ति को अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और शेख सादी का गुलिस्तां, हाफिज का बोस्तान और फिरदौसी का शाहनामा पढ़ा होना चाहिए। मिर्जा नामा के अनुसार, 'समाज में मिर्जा को बातचीत के दौरान किसी भी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

प्रकार की गलती से बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बातचीत के दौरान की गई ऐसी गलती एक मिर्जा के लिए एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी'। इतिमादुद्दौला के पोते मिर्जा और नूरजहां बेगम के भाई के पुत्र अबू सईद के शिष्टाचार के बारे में बताते हुए शाहनवाज खान उनकी तथाकथित मिर्जाई के बारे में बताते हैं कि, 'वह अपनी सुंदरता और राजशाही के लिए जाने जाते थे, और वस्त्र और भोजन दोनों में उनकी रुचि आला दर्जे की थी... उनके इतने शौकीन और बुलंद विचार थे कि कभी.कभी वह दरबार में जाने के लिए अपनी पगड़ी को व्यवस्थित कर रहे होते थे कि खबर आती कि दरबार समाप्त हो गया, और कभी–कभी जब वह अपनी पगड़ी की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होते थे तो वे घुड़सवारी के लिए भी नहीं जाते थे'। हालांकि अठारहवीं सदी तक आते–आते शासक वर्ग इस प्रकार के कड़े शिष्टाचार और नियमों से मुक्त हो चुका था। इस प्रकार आदाब (शिष्टाचार) मुगल दरबारी संस्कृति की कुंजी थी।

2. अशराफ– मुहम्मद बिन तुगलक के काल के 14 वीं शताब्दी के इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्नी, अपनी फतवा–ए जहांदारी में स्पष्ट रूप से अशराफ को 'सद्गुण संपन्न' और अजलाफ को 'हेय' कहते हैं। अशराफ को बर्नी द्वारा 'मुहम्मद के पुत्र' की संज्ञा दी गई है, जिन्हें उच्च कुल का माना जाता है; जबकि अजलाफ को 'निम्न कुल में उत्पन्न' माना जाता था। इस प्रकार अशराफ जन्म से ही श्रेष्ठ थे। यहां, मेरे द्वारा अशराफ और अजलाफ शब्दों का प्रयोग बेहद सामान्य अर्थों में किया गया है: अशराफ, कुलीन जनों के लिए; जबकि अजलाफ, शहरी समाज के आम गरीब लोगों के लिए। अपने व्यापक अर्थों में अशराफ एक अभिजात्य वर्ग था – भद्र एवं सुसंस्कृत– जिसमें सैनिक, प्रशासक और विद्वान शामिल थे। सत्रहवीं शताब्दी में जब बंगाल, उत्तर भारत में शामिल हुआ तो विशेष रूप से प्रांतीय राजधानी ढाका में एक नए मुस्लिम वर्ग अशराफ वर्ग, का अभ्युदय हुआ जिनका मानना था कि वे पश्चिमी इस्लामिक मूल – मशहद, तेहरान, बदख्शान, माजन्दरान गीलान, आदि के वंशज हैं। इसके कारण पुराने अशराफ – अफगान – को और भी आगे पूर्व और दक्षिण की ओर विस्थापित कर दिया गया। रिचर्ड ईटन का तर्क है कि 'इस अवधि में अशराफ मुस्लिमों और उन ग्रामीणों के बीच सामाजिक दूरी और भी ज्यादा हो गई जो चौदहवीं सदी से मुस्लिम समाज के एक विशिष्ट स्थानीय स्वरूप में धीरे.धीरे घुलते.मिलते जा रहे थे'। बंगाल के इन अशराफों की जीवन शैली पर टिप्पणी करते हुए तपन रायचौधरी ने कहा है कि वे 'बहुत ही धीमे स्वर में, अनुशासित तरीके से संयम और मिठास के साथ बड़े ही आधिकारिक रूप से बोलते थे।'

सामाजिक संरचना– मुगल शहरों की एक दिलचस्प विशेषता यह थी कि सामाजिक वर्गों के आधार पर कोई भौतिक अलगाव नहीं था। अमीरों और गरीबों के निवास स्थान भी अलग–अलग नहीं थे, जैसा कि बाद में औपनिवेशिक काल के दौरान श्वेत और अश्वेत निवास स्थान अलग–अलग होने लगे। इसी प्रकार, जाति या धर्म के आधार पर भी कोई भौतिक विभाजन नहीं था; यहां तक कि व्यावसायिक स्थान और आवासीय स्थान भी अलग–अलग नहीं थे।

पटना के संदर्भ में टेवर्नियर का अवलोकन भी इससे अलग नहीं है: 'भारत के अधिकांश शहरों के घरों की तुलना में यहाँ के घर बेहतर नहीं हैं और घरों की छतें लगभग बांस और फूस की हैं'। बर्नियर का अवलोकन भी कुछ ऐसा ही है, उनका कहना है कि सिर्फ छोटे अमीरों और मनसबदारों के घर 'ईंट या पत्थर के हैं, जबकि बाकी घर मिट्टी और फूस के बने हैं, लेकिन फिर भी ये घर काफी आरामदायक और हवादार होते हैं, ज्यादातर घरों में आंगन और बागीचे भी हैं, ऐसे घर अंदर से काफी लंबे–चौड़े होते हैं और अच्छे फर्नीचर से युक्त हैं। फूस की छतें लंबे, सुंदर और मजबूत केन के डंडों पर आधारित हैं और मिट्टी की दीवारें उच्च कोटि के सफेद चूने से पुती हुई हैं। इन घरों इनके साथ बहुत से अन्य घर हैं, के साथ छोटे घर मिश्रित हैं, जो मिट्टी और फूस के बने हुए हैं, इनमें सामान्य सैनिक, काफी संख्या में नौकर और शिविर के साथ चलने वाले, जो दरबार और सेना के पीछे चलते हैं, रहते हैं'। बर्नियर का कहना है कि, 'इन्हीं मिट्टी और फूस के घरों की वजह से मैं दिल्ली को गांवों के संग्रह के रूप में प्रस्तुत करता हूँ'। उनका मानना है कि इन घरों के कारण ही दिल्ली में मुख्य रूप से गर्मियों में आगजनी की घटनाएँ बराबर होती रहती हैं। 1662 में ही शहर में करीब तीन आगजनी की घटनाओं में तकरीबन साठ हजार ऐसे ही घर जलकर खाक हो गए थे। हालांकि, बड़े अमीर, अपने घरों को ठंडा रखने के लिए खस.खस की घास का इस्तेमाल करते थे। उनके घरों पर टिप्पणी करते हुए बर्नियर कहता है, 'हिंदुस्तान की राजधानी में खूबसूरत मकानों की कमी नहीं है'। हालांकि, यूरोपीय यात्रियों ने ईंट और तराशे हुए पत्थरों से बने बेहतर घरों के लिए केवल बनारस की ही प्रशंसा की है।

मध्यम वर्ग– शहरी 'मध्यम वर्ग' की अवधारणा चौदहवीं शताब्दी में यूरोप में सामंती वर्ग के विरोध के रूप में उभरी। मध्यवर्ग को 'अभिजात्य और गुलाम' के बीच

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

विद्यमान एक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया था। इस नए उभरते हुए वर्ग में केवल नए व्यापारी और व्यापारी समुदाय ही नहीं थे, बल्कि नए 'पेशेवरों' के वर्ग भी शामिल थे – वकील, चिकित्सक इत्यादि। जब बर्नियर (1916–252) भारत भ्रमण पर आया, तो उसने अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी की कि, 'दिल्ली में कोई मध्य वर्ग नहीं है। यहाँ लोग या तो बहुत ही ऊँचे पद पर हैं या फिर बहुत ही गरीबी में जीने को मजबूर हैं'। मोरलैंड (1962–73.78) का मत है कि अकबर के शासनकाल में क्लर्कों और एकाउंटेंट्स जैसे पेशेवर वर्ग बड़ी संख्या में थे, लेकिन उनका अस्तित्व राज्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ था और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, इस प्रकार ये पूरी तरह से राज्य पर 'आश्रित' थे। इस प्रकार, मोरलैंड ने हालांकि सहमति व्यक्त की कि चिकित्सा, साहित्य, कला और संगीत जैसे कुछ व्यवसाय मौजूद थे, लेकिन 'सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार काफी संकुचित था। शिक्षित मध्यम वर्ग बहुत ही कम था, और चिकित्सक या कलाकार या साहित्यिक व्यक्ति केवल राज दरबार या प्रांतीय गवर्नरों, जो शाही राजदरबार की तर्ज पर ही संगठित थे, के लिए काम करके ही पर्याप्त आय प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता था'।

व्यावसायिक गतिशीलता– मैक्स वेबर का तर्क है कि पूर्व–औपनिवेशिक भारत में कोई अंतर–शिल्प गतिशीलता मौजूद नहीं थी। अगर कोई शहरी मध्य वर्ग के संदर्भ में यह तर्क देता है तो बेहतर रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में इन शहरी वर्गों में अक्सर पेशे बदलने के उदाहरण देखे जा सकते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस शत्तारी के पिता व्यापारी थे, जो मांडु में कागज की बिक्री और खरीद का व्यापार करते थे। बनारसीदास के दादा मूलदास हुमायूं के एक अमीर के अधीन मोदी थे। बनारसीदास के पिता, सुलेमान कराराणी के दीवान श्रीमल राय धन्ना के तहत फोतेदार के रूप में कार्य करते थे। बाद में उन्होंने आगरा में अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया। इसी प्रकार, अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक घुबारी, एक अनाज व्यापारी का पुत्र था; माहिम के पिता तीर बनाने वाले कारीगर थे; कासिम हिंदी हाथी की देखभाल करने वाले का बेटा था; जबकि काजी मुल्तानी खुद एक व्यापारी थे। प्रसिद्ध व्यापारिक घरानों के संस्थापक–रूस्तमजी और सूरत के अब्दुल गफूर पुजारी वर्ग से थे। अठारहवीं शताब्दी से हमें महाजन, खत्री और बनिया इत्यादि के स्थानीय प्रशासन में रिकॉर्ड की देखभाल करने और मुनीम के रूप में कार्य करने के विवरण मिलते हैं। इनशा लेखकों, एकाउंटेंट और अन्य प्रशासनिक पेशेवर भी अपने पसंद से अपने पेशे बदलते रहते थे या छोड़ देते थे। तजकिरा–ए पीर हस्सू तेली के संकलनकर्ता सूरत सिंह के भाई ने पहली बार लाहौर वाकया निगार के रूप में नौकरी की; फिर गुजरात में अधिकारी के रूप में कार्य किया; वहां से लौटने के बाद वह बेरोजगार रहे और फिर परगना जहांगीरपुर के आमिल के रूप में कार्य किया; उसके बाद वे बटाला में खालिसा प्रतिष्ठान में शामिल हो गए; फिर दीवान के रूप में भटिंडा में कार्य किया; उसके बाद राय बिहारी मल के वकील के रूप में आगरा स्थानांतरित हो गए; इसके बाद एक बार फिर वे वापस लाहौर चले गए और फिर खान. ए सामान के रूप में काबुल चले गए; एक बार फिर उन्होंने एक महीने के अंदर नौकरी छोड़ दी, क्योंकि यह काम उन्हें पसंद नहीं आया।

भौगोलिक गतिशीलता– यह पेशेवर वर्ग न केवल अपनी इच्छा से व्यवसाय में परिवर्तन करता रहा, बल्कि बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ये आश्चर्यजनक गतिशीलता के साथ स्थानांतरित होते रहते थे। यातायात के अच्छे साधनों के अभाव के बावजूद व्यापारिक समुदाय एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। बनारसीदास अपने अर्धकथानक में उल्लेख करता है कि वह खुद जौनपुर से आगरा और फिर खैराबाद गए, फिर खैराबाद से बनारस, जौनपुर और फिर पटना चले गए। पटना से वह फिर से खैराबाद होते हुए आगरा चले गए। आश्चर्यजनक यह है कि वे पांच सूबों – दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद और बिहार में बार.बार आते.जाते रहे लेकिन कभी भी राहजनी या लूट के शिकार नहीं हुए। इसी प्रकार, मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेठ, नागौर (राजस्थान) के रहने वाले थे, फिर उनके पूर्वज हीरानंद शाह पटना चले गए और वहां से बाद में मुर्शिदाबाद। स्थानांतरण की यह गतिशीलता सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि व्यावसायिक वर्गों के समूहों का एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण एक सामान्य बात थी। बनारसीदास फतेहपुर के एक इलाके में रहने वाले ओसवालों के एक विशिष्ट समुदाय का उल्लेख करता है। अभी भी कश्मीरी कटरा नामक एक अलग कटरा, शाहजहानाबाद के किले के दिल्ली गेट के निकट कश्मीरियों को समर्पित है। सूरत में खत्रियों की काफी आबादी है, जो पंजाब से उनके उत्प्रवासन के सूचक हैं।

गुलाम और घरेलू सेवक–सेविकाएं– मुगल काल तक आते.आते कुलीन गुलाम सैनिक, जो सल्तनत शासक वर्ग की एक महत्वपूर्ण ताकत थी, पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे और 'गुलाम श्रमिक, श्रम बल के एक छोटे से घटक के रूप में परिवर्तित हो गया जो मुख्यतः घरेलू सेवक और

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

'रखैल' के रूप में सिमट कर रह गया... '। अकबर ने गुलामों के व्यापार को अवैध घोषित किया और युद्ध बंदियों की जबरन दासता पर प्रतिबंध लगाया। 1582 में उन्होंने हजारों ऐसे गुलामों को मुक्त कर दिया। ऐसे ही स्वतंत्र गुलामों का एक वर्ग अकबर के व्यक्तिगत हथियारबंद अंगरक्षक और सहायक के रूप में कार्यरत थे जिन्हें चेला कहा जाता था। चेला, एक विशिष्ट श्रेणी के सैनिकों के रूप में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भी वजूद में थे। मानुकी ने उन्हें 'दागदार' लोगों की संज्ञा दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोलहवीं शताब्दी में तटीय क्षेत्रों में गुलामों का व्यापार बहुत व्यापक था।

हम भारतीय बंदरगाहों तक आयातित होने वाले एबीसीनियन और अराकानी गुलामों के बारे में सुनते हैं। सोलहवीं शताब्दी में गोवा गुलामों का एक प्रसिद्ध बाजार था। पुर्तगालियों ने अपने जहाजों पर अफ्रीकी गुलामों को श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया था, जो सैनिकों के साथ. साथ घरेलू नौकरों का भी कार्य करते थे। थिवनो पुर्तगालियों के अधीन दमन में पुरुष और महिला दोनों प्रकार के गुलामों का जिक्र करता है। वह उल्लेख करता है कि वे 'सिर्फ अपने स्वामी के लिए काम करते हैं और संतानें पैदा करते हैं'। वे घरेलू नौकर, पालकी धारकों के रूप में कार्यरत थे और/या उनके क्षत्रों को लेकर चलते थे। ये गुलाम आमतौर पर मोम्बासा, मोजाम्बिक और सोफला के निवासी थे। थिवनो के अनुसार गोवा में प्रत्येक पुर्तगाली के पास 30 से 40 गुलाम होते थे। हुगली, चटगांव, तामलूक सोलहवीं शताब्दी में गुलामों के प्रमुख बाजारों के रूप में उभरे, विशेष रूप से अराकानी गुलामों का बाजार, जिन्हें बंगाल से लाकर भारतीय बाजारों में बेच दिया जाता था। कंपनियां भी गुलामों के व्यापार में शामिल थीं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के प्रतिबंध का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा जो कि 1623 में डच फैक्टर फान देन ब्रूक की शिकायत से स्पष्ट होता है कि सूरत में दास बहुत महंगे थे क्योंकि मुसलमान इसकी अनुमति नहीं देते थे। लेकिन, मुगल राज्य में अकाल के दौरान गुलामों की खुली बिक्री की अनुमति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की नीति में कुछ बदलाव औरंगजेब के काल में अवश्य आया जब उसने दास व्यापार पर लगने वाले कर पर प्रतिबंध हटा दिया। हालांकि, ये घरेलू दास और 'रखैल' कुलीन घरों में और यहां तक कि छोटे अधिकारियों के घरों में बड़ी संख्या में सेवारत थीं। यूरोपीय यात्री, पेल्सर्ट और बर्नियर असंख्य घरेलू नौकरों की मौजूदगी का उल्लेख करते हैं। फ्रायर टिप्पणी करता है, 'एक ख्कैवलरी,। सिपाही चाहे कितना भी छोटे पद पर क्यों न हो, उसके पास तीन या चार नौकर जरूर होंगे'। जाफर जट्टल्ली (1710) के अनुसार, गुलाम के रूप में कम से कम एक पुरुष और एक लड़की हर घर का अभिन्न हिस्सा थे।

पारिवारिक और लैंगिक संबंध– मध्य काल में मृत्यु दर असाधारण रूप से उच्च थी। बनारसीदास के दो भाइयों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और इसी प्रकार उनके आठ बच्चों की मौत भी बचपन में ही हो गई थी। मुहम्मद गौस शत्तारी वर्णन करते हैं कि, उनके भाई की मौत भी बाल्यकाल में ही हो गई थी। 'बाल श्रम' सामान्य चलन था। सीकरी के निर्माण को चित्रित करने वाली पेंटिंग में तीन छोटे बच्चों को ईंट और गारा ले जाते हुए दर्शाया गया है। थिवनो और टेवर्नियर के अनुसार छोटे लड़कों को आगरा में टंकाई के काम में लगाया जाता था, वे हीरे के खनन में, पानी लाने और मिट्टी ले जाने के लिए और हीरा पॉलिशिंग में भी कार्यरत किए जाते थे।

मध्य काल के अखलाक साहित्य का केंद्र 'पुरुष' प्रधान था। महिलाओं को अखलाक के आदर्शों/मानदंडों से दूर रखा गया। यह स्पष्ट करता है कि अभिजात्यों के बेटों के आदर्श क्या होने चाहिए, महिलाओं को इन आदर्शों में शामिल नहीं किया गया है। मध्य काल में पारिवारिक संबंधों को समकालीन स्थितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसे अच्छे से समझना मुश्किल है। विवाह की उम्र काफी कम थी। बंगाल में तो विवाह की उम्र केवल आठ या नौ साल ही थी। बनारसीदास का विवाह ग्यारह साल की उम्र में ही हो गया था। हालांकि अपने शासन के 33 वें वर्ष में अकबर ने लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 16 वर्ष तय कर दी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस नियम का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। इसी तरह, अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया था।

हिंदुओं में एकपतित्व (monogamy) की प्रथा प्रचलन में थी। फिर भी, उच्च बाल मृत्यु दर की वजह से पत्नी की मृत्यु के बाद दुबारा शादी करना भी आम प्रचलन में था। बनारसीदास की पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की बहन से विवाह किया और उसकी मृत्यु के बाद फिर से उसी इलाके की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। कानून के मुताबिक मुसलमानों को चार पत्नियां रखने की अनुमति थी। लेकिन, सूरत के निकाहनामे (विवाह समझौता) पुरुषों/महिलाओं के पारिवारिक संबंधों पर दिलचस्प रोशनी डालते हैं। एक निकाहनामा में पत्नी ने मेहर के रूप में यह शर्त रखी कि उसका शौहर दूसरी शादी नहीं करेगा और अपनी पत्नी के साथ मार–पीट की कोशिश भी नहीं करेगा। यह भी मांग की गई कि दूल्हा

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा और रखरखाव प्रदान करने में चूक नहीं होगी। एक अन्य दृष्टांत में यह शर्त रखी गई कि शौहर किसी गुलाम लड़की को अपनी 'रखैल' के रूप में नहीं रखेगा, अन्यथा उसे बेचने या मुक्त करने का अधिकार पत्नी का होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन से विवाह टूट सकता था।

शहर और अंतर–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य– मध्यकालीन शहर महानगरीय संस्कृतियों के जीवंत केंद्र थे। शहरों के बाहरी इलाके में स्थित सूफी खानकाह, सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। महरौली की सभी सूफी खानकाहें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए समान रूप से पवित्र थीं, और इसी प्रकार दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और गुलबर्गा में गेसुदराज की दरगाह दोनों ही समुदायों के मध्य पूजनीय थीं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान भाव से हिंदू त्योहार दीपावली मनाया करते थे। इसी प्रकार, मुरक्का.ए दिल्ली में वर्णित है कि मजनून नानक शाही को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के द्वारा एक जैसा सम्मान दिया जाता था और उनके अनुयायी अपने अनूठें तरीकें से मुहर्रम मनाया करते थे। दिल्ली में बसंत पंचमी उत्सव पैगंबर के पदचिह्न से शुरू होता था और दोनों समुदायों के लोग इसमें सम्मिलित रूप से भाग लेते थे।

इसी तरह, मुरक्का में जिक्र है कि जब जावेद खान इमाम हुसैन की याद में शोकगीत गाया करते थे तो समस्त समुदायों के लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। इसी प्रकार, इमाम हुसैन के ताजिया खाना में भी सभी समुदायों के लोग एकत्रित होते थे। अजमेर में भैरोजी के नगरीय मंदिर का पुजारी एक मुस्लिम था, जो उस मंदिर की देखभाल करता था। खानकाहों में उर्स के उत्सव, समा महफिल इत्यादि शहर के सीमांत क्षेत्रों में उपस्थित खानकाहों के आसपास होने वाले आम कार्यकलाप थे। कदम शरीफ में पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन समारोह (शबे बरात) और अरब की सराय में बसंत पंचमी के त्यौहार के अवसर पर हिंदू और मुसलमान दोनों समान उत्साह से एक साथ भाग लेते थे; दीप जलाए जाते थे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि त्योहार आम विरासत का एक हिस्सा थे।

मुगल चित्रोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि होली, राखी, दशहरा, दीपावली और ईद सभी त्योहार शाही दरबार में समान उत्साह के साथ मनाए जाते थे। यहां तक कि शिवरात्रि के अवसर पर अकबर और जहांगीर दोनों ही विशाल प्रीतिभोजों का आयोजन करते थे और इस अवसर पर योगियों को बड़ी संख्या में आमंत्रित करते थे। यहां तक कि एक हिंदू ब्राह्मण को मस्जिद में बैठकर ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने में भी कोई हिचक नहीं थी। शेख जलाल हिसारी ने एक पत्र में अपने एक मित्र से अनुरोध किया कि वो बहार–ए अबरार से एक कसीदे (कविता) की प्रतिलिपि बनाने की अनुमति दें, जिससे बालकृष्ण, जो एक हिंदु ब्राह्मण थे, उसकी प्रतिलिपि मस्जिद के अंदर बैठकर बना सके क्योंकि शायद उस पुस्तक को मस्जिद के परिसर के बाहर ले जाने देने में उनके मित्र को हिचकिचाहट हो रही थी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अबुल फजल अल्लामी, दि आइन–ए अकबरी, अनु. जैरेट्ट, एच.एस. एवं जदुनाथ सरकार (नई दिल्लीः ओरिएण्टल बुक्स रिप्रिंट).
2. अनुमोदन आर्चीबाल्ड कांस्टेबल, द्वितीय संस्करण विंसेंट ए. स्मिथ (लंदनः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस).
3. ब्लेक, स्टीफन पी., (1991) शाहजहानाबादः दि सॉवरिन सिटी इन मुगल इण्डिया 1639. 1739 (कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस).
4. हबीब, इरफान (2008) मिडिवल इण्डियाः दि स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन (नई दिल्लीः नेशनल बुक्स ट्रस्ट).
5. हसन, नुरूल एस., (2005) 'दि मोर्फोलॉजी ऑफ ए मिडिवल इण्डियन सिटीः ए केस स्टडी ऑफ शाहजहानाबाद', बंगा, इन्दु (संपा.), दि सिटी इन इण्डियन हिस्ट्री (नई दिल्लीः मनोहर).
6. हॉल्टन, आर. जे., (1986) सिटीज, कैपिटलिज्म एण्ड सिविलाइजेशन (लन्दनः ऐलन एण्ड अनविन).
7. खान, अली मुहम्मद, (1928) मिरात.ए अहमदी, अनु. लोखण्डावाल, एम.एफ., भाग 2 (बड़ौदाः ओरिएण्टल इंस्टीट्यूट).
8. खान, इक्तिदार आलम, (1976) 'दि मिडिल क्लासेज इन दि मुगल एम्पायर', सोशल साइंटिस्ट, भाग 5 नं. 1 अगस्त.
9. खान, शाह नवाज, (1979) दि माआसिर.उल उमरा, अनुवाद एच. बेवरिज, भाग (पटनाः जानकी प्रकाशन)

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*